न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

[illegible]सं. 108/2012
[illegible]सीएमएस : 2012/00185

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर पैरोकार राज।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1. दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह जाति जटसिख साकिन रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 24.07.2012

उपस्थितअधिवक्तागण
1. राजपैरोकार सरकार ।
2. श्री अजय तनेजा अधि. प्रति.सं. 1।

दिनांक : 17.10.2025

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक चक 11 टी.के. का मु.नं. 65 प.नं. 204/299 के कि.नं. 16 व 21 से 25 कुल 1.405 है. नहरी के संबंध में राजस्व जमाबन्दी चौसला में संवत 2065—2068 में दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह जाति जटसिख साकिन रायसिंहनगर खातेदार दर्ज है जिसका वाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है रिपोर्ट पटवारी हल्का 11 टीके के अनुसार इस रकबा में प्रतिवादी 1 के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी काटकर अवैध रूप से प्लाटों का विक्रय किया है और किया जा रहा है जिसमें से अधिकाश प्लाटों का विक्रय किया जा चुका है खातेदारों द्वारा उक्त भूमि की पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है जबकि यह रकबा कॉलोनी हेतु प्लाट काटकर विक्रय किया जा चुका है जिसमें वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं हो रही है। अप्राथी/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर बिना बैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रूप से कॉलोनी काटकर अतिचार किया जा रहा है। यदि उन्हे रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष अपूर्णीय क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलोनिया का निर्माण हो जाएगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। वाद पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद राज्य हित में होने के कारण कोर्ट फीस शुल्क से मुक्त है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज फरमाये जायेगे। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण करवाये आवासी प्लाट काटकर विक्रय कर अतिचार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये प्लाट काटकर विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 177 की दण्डनीय होने के कारण भूमि पर अतिचार व अवैध कॉलोनी निर्माण को रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत रिसीवर नि[illegible] [illegible] उचित होगा। अतः वाद दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रकबा [illegible] राज घोषित किया जाकर बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान [illegible] [illegible]।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवा[illegible] जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की [illegible] श्री अजय तनेजा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल [illegible] प्रतिवादी सं. 1 की तरफ से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वादी ने बिना [illegible] कैसे व कब प्राप्त हुआ वाद—पत्र में होना नहीं किया गया, वाद कारण उत्पन्न होने के संबंध में कोई तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:21:15 IST
Reason: SelfAttested

लेख नहीं होने से वादों को वाद कारण नहीं होने से दावा खारिज योग्य है काश्तकारी अधिनियम में छोटे टुकड़ों को बेचान करने पर रोक नही है, अगर कोई कृषि भूमि का छोटा टुकड़ा बेचान किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत अवैध नहीं है अगर बेचान किया है तो धारा 90 ए के तहत नियमन योग्य है प्रतिवादी की विवादित भूमि मौका पर खाली पड़ी है, उसमें कोई निर्माण नहीं किया हुआ है तथा भूमि का पानी सिंचाई हेतु सिंचाई विभाग द्वारा इसी भूमि में बांध कर पर्ची जारी की हुई है। कृषि भूमि नगरपालिका परिधि (पैरापेरी) ऐरिया से बाहर है। काश्तकार द्वारा भूमि की सुरक्षा हेतु अगर एक कोठा या चार दीवारी की जाती है तो भी विधि प्रावधानों अनुसार सही है, जो भूमि में सुधार हेतु किया जा सकता है। वादी द्वारा वाद–पत्र गलत आधार पर व विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है, वादी द्वारा वाद–पत्र के शीर्षक में राजस्थान सरकार द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत करना दिखाया है जो कि विधि अनुसार सही नहीं है इसलिए विधि अनुरूप वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज योग्य है अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद–पत्र गलत व निराधार वर्णित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. हम विधिक तनकीयात कायम कर निर्णय करना उचित समझते है निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि विवादित भूमि चक 11 टी.के. के मु.नं. 65 प.नं. 204/299 के कि.न. 16 व 21 से 25 कुल 1.405 है. नहरी भूमि प्रतिवादी बतौर खातेदार दर्ज है।
   —:राजपैरोकार
2. आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एव नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लाटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
   —:राजपैरोकार
3. आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है।
   —:राजपैरोकार
4. आया कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्व बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है।
   —:प्रतिवादी
5. आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।
   —: प्रतिवादी
6. अनुतोष।

4. साक्ष्य वादी में सरकार की तरफ से राजपैरोकार का कथन है कि दावा पत्र व पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ही साक्ष्य माने जावे। सरकार की तरफ से अन्य कोई साक्ष्य वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया गया।

5. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही प्रतिवादी स्वयं एवं उनकी तरफ से अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आया।

6. हमने सरकार की नियुक्त राजपेरोकार नायब तहसीलदार समेजा कोठी की एकपक्षीय बहस सुनी। व स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौके [illegible] उक्त विवादित भूमि पर बिना भू. रूपान्तरण करवाये [illegible] लोग मकान बना कर निवास कर [illegible] का भली–भांति मकानों का निमार्ण किया हुआ है [illegible] पत्रावली पर [illegible]। हम प्रकरण का तनकी रहे है। मौका निरीक्षण तथा पत्रावली [illegible] और [illegible] समझते है जो अवलोकन करते हुए संगत विधिक [illegible] करते हुए निर्णय [illegible] वार पृथक–पृथक विवेचन [illegible] 11 टी.के. के मु.नं. 65 प.नं. निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (A) आया कि विवादित भूमि [illegible] कुल 1.40[illegible] नहरी भूमि प्रतिवादीगण बतौर 204/299 के कि.नं. 16 व 21 से 25 कुल 1.40 खातेदार दर्ज है।
—:राजपैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जमाबन्दी के अनुसार चक 11 टी.के. के मु.नं. 65 प.नं. 204/299 के कि.नं. 16 व 21 से 25 कुल 1.405 है. नहरी भूमि दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री त्रिलोचनसिंह जाति जटसिख साकिन रायसिंहनगर के नाम खातेदार दर्ज है इस तनकी को प्रमाणित करने में वादी सफल रहे है अतः यह तनकी वहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लाटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है। –:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के अनुसार प्रतिवादी द्वारा बिना भूमि को रूपान्तरित करवाये व बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के कृषि भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है। अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय किया जा रहा है। वादी अधिवक्ता ने जवाब दावा कथन किया है कि आवासीय कॉलानी बिना अनुमति काटी जा सकती है। जिनके बैयनामा पंजीकृत करवाये है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है। –:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी/प्रार्थी/राजपैरोकार पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/शपथ पत्र/पटवार हल्का रिपोर्ट आदि से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना भू–रूपान्तरण करवाये प्लाटों के रूप में वर्गीकृत कर विक्रय किया जा रहा है। संपरिवर्तन नहीं करवाने से संपरिवर्तन शुल्क राजकोष में जमा नहीं हुआ है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक/राजस्व हानि हुई है। यह तनकी बहक प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्व बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है। –:प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससें यह साबित हो कि कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण किये अकृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाना बैद्य है जामबंदी विवादित भूमि वाके चक 11 टी.के. के मु.नं. 65 प.नं. 204/299 के कि.नं. 16 व 21 से 25 कुल 1.405 है. नहरी भूमि दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री त्रिलोचनसिंह जाति जटसिख साकिन रायसिंहनगर के नाम ई.नं. 494 जरिये बैयनामा खातेदार नाम दर्ज रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है। तथा कृषि भूमि को अकृषि में रूपान्तरण करवाये आवासीय भूमि में प्रयोग में लिया जा रहा है। राज.काश्त. अधिनियम के विद्यिक प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करना अवैद्य है तथा राज्य सरकार को प्रतिवादीगण के विरूद्व यही बिनाय दावा व बिनाय मुखास[illegible] हैं। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहे है अत[illegible] का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्व तथा वादी के प[illegible] के तहत नियमन हो

तनकी संख्या (E) आया कि विवादित भूमि को [illegible] चुका है। इसलिए वाद का[illegible] खारिज [illegible] –: प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य पेश नहीं किया गया [illegible] यह सिद्व होता है कि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1–5 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधि संगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार तनकीयात को सिद्व करने में सफल रहे है। खातेदार/प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिर्वतन करवाये/ बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के छोटे–छोटे भूखण्डों /प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि खातेदार को दी गई थी उस प्रयोजन के विपरीत है तथा राज. काश्तकारी अधि. 1956 व भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए के प्रवधानों का उल्लघंन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लघंन है। अतः उपयुक्त वाद ग्रस्त रकबा चक 23 पी.एस. ए. का मु.नं. 23 प.नं. 207/295 के कि.नं. 8/2/0.127 है. व 9–10–11 सालम, 12/1 में 0.063 है. कुल रकबा 0.949 नहरी भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:21:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner